**महत्वपूर्ण**

**संख्या-1125/नौ-9-2025/45ज/2021-ई-1749112**

**प्रेषक,**

**अमृत अभिजात,**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में,**

1. **निदेशक**, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. **निदेशक**, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ।
3. **समस्त नगर आयुक्त**, नगर निगम, उ0प्र0।
4. **प्रबंध निदेशक,** जल निगम, (नगरीय) लखनऊ।
5. **निदेशक**, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6. **समस्त महाप्रबंधक**, जलकल विभाग, नगर निगम उ0प्र0/जलसंस्थान झांसी, चित्रकूटधाम कर्वी मण्डल बांदा।
7. **समस्त अधिशासी अधिकारी,** नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।

**नगर विकास अनुभाग-9** **लखनऊ: दिनांक 04 जून, 2025**

**विषय-** नगर विकास विभाग के अंतर्गत ड्रेनेज से संबंधित कार्यों को स्थानीय नागर निकायों तथा सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, (नगरीय) के माध्यम से कराये जाने हेतु मानक के निर्धारण के संबंध में।

**महोदय,**

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर विकास विभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में कराये जाने वाले ड्रेनेज संबंधी कार्यों हेतु मानक निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं।

**2.** उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-45ज/21, दिनांक 30.06.2021 द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के संगत प्राविधान 2.3.2(घ) में निर्धारित कार्यों की Upper limit रू0 40 लाख में एकरूपता न होने के दृष्टिगत असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। ड्रेनेज संबंधी कार्यों के लिए शासनादेश वर्ष 2012 में निर्गत किया गया है, वर्तमान में बाजार दरों में हुई वृद्धि के उपरान्त निर्माण सामग्री आदि के विषय में निर्गत नवीन Shedule of Rates (SOR) में परिवर्तन हो जाने के दृष्टिगत संदर्भित शासनादेश दिनांक-09.10.2012 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

**3.** अत: नगर विकास विभाग के अंतर्गत नगरीय निकायों में कराये जाने वाले ड्रेनेज से संबंधित कार्यों हेतु निर्गत संदर्भित शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-(क), (ख) एवं (ग) में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संशोधन करते हुए निम्नवत संशोधन/मानक निर्धारित किया जाता है:-

| प्रस्तर | मूल प्राविधान | संशोधित प्राविधान |
|---|---|---|
| 2(क) | नगर निगम- नगर निगमों द्वारा 50.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जायेंगे तथा इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधी के कार्य सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे। | नगर निगम-द्वारा रू0 1000.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य स्वयं कराये जा सकेंगे। आवश्यकतानुसार नगर निगम द्वारा उक्त कार्य, उ0प्र0 जल निगम/सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के माध्यम से भी कराया जा सकता है।<br>रू0 1000.00 लाख से ऊपर वाले कार्य का निर्माण नियमानुसार नामित कार्यदायी संस्था/ सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) के माध्यम से कराया जायेगा। |
| 2(ख) | नगर पालिका परिषद - नगर पालिका परिषदों द्वारा रू0 25.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जायेंगे तथा इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधी कार्य सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे। | नगर पालिका परिषद द्वारा रू0 200.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जायेंगे तथा इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधी कार्य सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा कराये जायेंगे। |
| 2(ग) | नगर पंचायत - नगर पंचायतों द्वारा रू0 05.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जायेंगे तथा इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधी कार्य सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे। | नगर पंचायतों द्वारा रू0 100.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जायेंगे तथा इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधी कार्य सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) द्वारा कराये जायेंगे। |

**4.** अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by AMRIT ABHIJAT
Date: 04-06-2025 17:04:59

**(अमृत अभिजात)**
**प्रमुख सचिव।**

<u>संख्या एवं दिनांक तदैवः-</u>

<u>प्रतिलिपि-</u>निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. **समस्त मण्डलायुक्त,** उ0प्र0।
2. **समस्त अनुभाग, नगर विकास विभाग,** उ0प्र0 शासन।
3. **सहायक वेब मास्टर** को वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।
4. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

04.06.25

**(मो0 वासिफ)**
**उप सचिव।**